



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एकट से सम्बन्धित 20-20 हजार के इनामिया 02 अभियुक्त

गिरफ्तार

दिनांक 29.05.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोली के नेतृत्व में थाना पिसावां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 221/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एकट थाना पिसावां सीतापुर में गैंगेस्टर से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1. मो0 शादाब पुत्र मो0 अली रजा 2.सगीर खां पुत्र स्व0 नजीर खां नि0गण सेजखउर्ज को बरगांवा चौराहे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा/ प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जो गोवध जैसे अपराध में लिप्त रहे है तथा इस संबंध में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. मो० शादाब पुत्र मो० अली रजा नि० सेजखुर्द थाना पिसावां, सीतापुर
2. सगीर खां पुत्र स्व० नजीर खां नि० सेजखुर्द थाना पिसावां, सीतापुर

पंजीकृत अभियोग-मु०अ०सं० 221/22 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना पिसावां
सीतापुर

पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित भदौरिया
2. व०उ०नि श्री राजपाल
3. हे०का० सर्वेश कुमार
4. का० अश्विनी ढाका
5. का० अजय पाल

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण –

मु०अ०सं० 135/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना पिसावां सीतापुर

